भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 2518

जिसका उत्तर 05.03.2020 को दिया जाना है

मध्यस्थता के दावे

2518. श्री असादुद्दीन ओवैसीः

श्री सय्यद ईमत्याज ज़लीलः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वर्तमान में राजमार्ग बिल्डरों और रियायत पाने वालों द्वारा बहुत बड़ी राशि के दावे संबंधी मध्यस्थता के मामले चल रहे हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ राजमार्ग बिल्डरों/रियायत पाने वालों का मध्यस्थता का दावा परियोजना की लागत का 13 गुना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मध्यस्थता के दावों की राशि में इतनी वृद्धि का क्या कारण है;

(घ) मध्यस्थता के अन्तर्गत अब तक हल किए गए मामलों की कुल संख्या कितनी है तथा आज की तारीख में कुल लम्बित मामलों की संख्या कितनी है; और

(ङ) डेवलपर्स के द्वारा मध्यस्थता दावे के रूप में दावा की गई कुल राशि कितनी है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) वर्तमान में 80,993 करोड़ रु. की दावा राशि और 43,321 करोड़ रु की प्रति दावा राशि के साथ 286 मध्यस्थता मामले चल रहे हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। 629 करोड़ रु. की कुल परियोजना लागत (टीपीसी) के साथ मदुरई-तूतीकोरिन खंड बीओटी (टोल) ने 8199.31 करोड़ रु. राशि दावा और 290.26 करोड़ रु. की राशि का प्रति दावा किया है।

(घ) मध्यस्थता के अंतर्गत 632 मामले हल किए गए और आज की तारीख तक 286 मामले लम्बित है।

(ङ) डिवेलपर द्वारा मध्यस्थता दावे के रुप में 80,993 करोड़ रु. की कुल राशि का दावा किया गया है।

*****